91

पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-53/2019 - 264 (पें0) /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

दीपक आनन्द, भा0प्र0से0,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक- 13-3-2024

विषयः- **पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व सेवा की गणना के संबंध में ।**

प्रसंगः- **वित्त विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-04.03.2020**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-04.03.2020 के द्वारा पूर्व सेवा गणना हेतु 10 वर्ष के भीतर आवेदन समर्पित करने के प्रावधान को विलोपित किया गया है । उक्त परिपत्र में अंकित है कि "यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा"। आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होने संबंधी प्रावधान से इस बिन्दु पर संशय की स्थिति है कि पूर्व के मामले वित्त विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-04.03.2020 के प्रावधानों से आच्छादित होंगे अथवा नहीं ।

2. वित्त विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-04.03.2020 के द्वारा पूर्व सेवा गणना हेतु 10 वर्ष के भीतर आवेदन समर्पित करने के प्रावधान को विलोपित करने का उद्देश्य यही था कि किसी कर्मी के न्यायोचित दावे को मात्र कालावधि के आधार पर अमान्य न किया जाय । ऐसे में पूर्व के मामलों में उक्त प्रावधान का लाभ न मिलने से उक्त पत्र का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा ।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत वित्त विभागीय पत्रांक-191 दिनांक-04.03.2020 में अंकित प्रावधान "यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा" को विलोपित किया जाता है ।

विश्वासभाजन

13/3/24

(दीपक आनन्द)
सचिव (व्यय) ।

11-3-24